

28.5.18

पत्रावली आज कॅम्प कोर्ट दुड़ियां में पेश हुई। प्रकरण में लक्ष्मीलक्षार उद्यमपुरवादी से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम दुड़ियां की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 267, 268 जिला-2 कुल रकबा 0.19 हे. में मनोहर पत्नी माला पि. चौधू हे. 1/6 दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के आभावा अन्य हस्तावेध परिवार राशनकार्ड में राम कुमार पुत्र चौधू दर्ज है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लक्ष्मीलक्षार उद्यमपुरवादी की रिपोर्ट दि. 28.5.18 के अनुसार माला का वास्तविक नाम रामकुमार है। उक्त विवेचन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज माला पि. चौधू के अलावा रामकुमार पुत्र चौधू ~~सम्बन्धित~~ किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

आ.पं.अ. धारा 136 LRS स्वीकार किया जाएगा तथा ग्राम दुड़ियां की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 267, 268 जिला-2 कुल रकबा 0.19 हे. में दर्ज माला पि. चौधू के अलावा रामकुमार पि. चौधू दुकस्ता किये जाने का आदेश दिया जाएगा। उक्त नाम दुकस्ता के आभावा शेष इन्डाला व अस्तुर रहेगे। अनुसार लक्ष्मीलक्षार उद्यमपुरवादी राजस्व रिकार्ड में दुकस्ता करें। पत्रावली फौजदारी होकर गम्बर के लग हो तथा दायित्व दफ्तर हो। (19)